चेरूबिन ग्रेगरी
बनाम
बिहार राज्य
31, जुलाई 1963

[मुख्य न्यायमूर्ति बी.पी. सिन्हा, न्यायमूर्ति जे.सी. शाह व न्यायमूर्ति एन.राजगोपाल अय्यंगर]

दाण्डिक विचारण- अतिचारक के प्रति स्वामी के कर्तव्य भा0 द 0 सं0 की धारा 99, 103, 304 क ।

अपीलार्थी को धारा 304 क के तहत एक महिला की मृत्यु कारित करने के लिए आरोपित किया गया था। मृतका अभियुक्त के घर के निकट निवास करती थी। घटना के दिन से लगभग एक सप्ताह पूर्व मृतका के घर के शौचालय की दीवार गिर गयी थी व इसलिए अन्य के साथ मृतका ने अभियुक्त के शौचालय का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। अभियुक्त ने उनके वहाँ आने का विरोध किया। हालांकि, मौखिक चेतावनी निष्प्रभावी साबित हुई व इसलिए उसने अपने शौचालय तक जाने वाले मार्ग की ओर एक नग्न तांबे का तार लगाया व वह तार उसके घर, जिससे वह जुड़ा हुआ था की विद्युत तारों से प्रवाहित हो रहा था। घटना के दिन, मृतका अपीलार्थी के शौचालय गयी व वहाँ उसने उपरोक्त स्थित तार को छुआ परिणामतः उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गयी। विचारण व अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 क के तहत दोषसिद्ध किया। अतः यह अपील दाखिल हुयी।

अभिनिर्धारित : (1) संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दलील इस कारण पोषणीय नहीं थी कि अभियुक्त द्वारा लगाये गये जाल से कारित हुई क्षति के प्रकार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 99 या 103 की परिधि में नहीं लाया जा सकता।

(2) अतिचारक नियमाविरोधी caput lupinem (ऐसा व्यक्ति जिसकी बिना दण्ड के मृत्यु कारित की जा सके) नहीं था। मात्र यह तथ्य कि भूमि में प्रवेश करने वाला व्यक्ति एक अतिचारक था, मालिक या कब्जाधारक को प्रत्यक्ष हिंसा द्वारा व्यक्तिगत क्षति पहुँचाने का अधिकार नहीं देता था व यही सिद्धांत अप्रत्यक्ष रूप से भूमि पर कुछ करके क्षति कारित करने को नियंत्रित करेगा, जिसके प्रभाव को उसे पता होना चाहिए कि अतिचारक को गंभीर क्षति कारित करना संभाव्य था।

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1962 की दाण्डिक अपील संख्या 3

1960 की दाण्डिक अपील संख्या 124 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांकित 20 सितंबर 1961 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलार्थी की ओर से डी. गोबर्धन।

प्रत्यर्थी की ओर से एस.पी. वर्मा।

31 जुलाई 1963 को न्यायमूर्ति अय्यंगर द्वारा न्यायालय का आदेश पारित किया गया।

अपीलार्थी पर सत्र न्यायाधीश चंपारण द्वारा पारित उसकी दोषसिद्धि व दंडादेश के विरुद्ध अपील को निरस्त करने वाले पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यह अपील विशेष अनुमति द्वारा लायी गयी।

अपीलार्थी को धारा 304 क भारतीय दण्ड संहिता के तहत एक श्रीमती मदीलेन के, विद्युत आवेशित नग्न तांबे के तार जिसे उसने अपने शौचालय में घुसपैठियों के प्रवेश को निरुद्ध करने के लिए अपने घर के पीछे लगाया था, के संपर्क में आने से मृत्यु कारित करने के लिए आरोपित किया गया था। मृतका मदीलेन अभियुक्त के घर के निकट एक घर की निवासिनी थी। घटना के दिन 16 जुलाई 1959 से लगभग एक सप्ताह पूर्व, मृतका के घर के शौचालय की दीवार गिर गयी थी। परिणामतः उसका शौचालय सार्वजनिक आलोकन हेतु अनावृत हो गया था। फलस्वरूप मृतका ने अन्य के साथ अभियुक्त के शौचालय का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। अभियुक्त ने इसका विरोध किया व उन्हें स्पष्ट किया कि उन्हें इसका उपयोग करने की उसकी अनुमति नहीं है व हालांकि मौखिक चेतावनी निष्प्रभावी साबित हुई। वह यह इस कारण से था कि तथ्यों पर, जैसा कि अवर न्यायालयों द्वारा पाया गया कि अभियुक्त घुसपैठियों के लिए उसके शौचालय में प्रवेश को खतरनाक बनाना चाहता था।

हालांकि अभियोजन द्वारा अभिकथित किए गए कुछ तथ्यों को अभियुक्त द्वारा विवादित किया गया था, वे अब अवर न्यायालयों के निष्कर्षों से उपसंहारित हुए व चुनौती देने हेतु शेष नहीं है व वास्तव में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने उनका विरोध करने का प्रयास नहीं किया था। जैसा कि पाया गया, तथ्य हैं कि मृतका जैसे व्यक्तियों के उसके शौचालय में प्रवेश को खतरनाक बनाते हुए रोकने के लिए (1) अभियुक्त ने उसके शौचालय को जाने वाले मार्ग की ओर एक तांबे का तार लगाया, (2) कि यह तार नग्न व विद्युत संवाहित था व उसके घर जिससे कि वह जुड़ा था, के विद्युत तारों से धारा प्रवाहित हो रही थी। (3) वहां कोई चेतावनी नहीं थी कि तार विद्युन्मयी था। (4) मृतका बिना तार के संपर्क में आए प्रवेश करने में कामयाब रही परंतु जैसे ही वह बाहर आयी उसका हाथ तार से स्पर्श हुआ व उसे सदमा पहुँचा परिणामतः जिसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गयी। इन तथ्यों पर अवर न्यायालयों ने यह

अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 क के तहत अपराध का दोषी था जो अधिनियमित है:

"जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों मे से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।"

अभियुक्त ने यह सुझाव दिया कि मृतका को पर्याप्त रूप से चेतावनी दी गयी थी व इस संबंध में जिन तथ्यों का आश्रय लिया गया वे दो हैं: (1) कि दुर्घटना के समय उषाकाल था व अतः वहाँ पर्याप्त प्रकाश था, व (2) कि कुछ दूरी पर एक विद्युत प्रकाश चमक रहा था, लेकिन यह जाहिर है कि इनमें से कोई भी चेतावनी का गठन नहीं कर सकता क्योंकि स्थान पर प्रकाश मात्र होने से तार का विद्युत धारा से आवेशित होने की स्थिति स्पष्ट रूप से नहीं समझी जा सकती।

नग्न तार से प्रवाहित हो रही धारा की शक्ति घातक होने हेतु पर्याप्त थी, यह विवादित नहीं हो सकता कि धारा को उस शक्ति से आवेशित करना, उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को होने वाले गंभीर परिणामों की अवहेलना करते हुए भी, लापरवाही से किया गया एक उतावला कृत्य था।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि अभियुक्त को विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के तहत भी आरोपित किया गया था, परंतु उसे उस आरोप से इस निष्कर्ष के साथ दोषमुक्त किया गया कि अभियुक्त का मृतका की मृत्यु कारित करने का कोई भी आशय नहीं था।

विधि का प्रमुख बिंदु जिसे उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष तर्क किया गया होगा, था कि, अभियुक्त के पास संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का आधिकार था व मृत्यु उस अधिकार के प्रयोग के अनुक्रम में कारित हुयी थी। विद्वान न्यायाधीशों ने इस बचाव को विकर्षित किया जो हमारी राय में सही था। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 97 में निर्धारित है, जैसा कि धारा स्वयं अधिनियमित करती है कि संहिता की धारा 99 के प्रावधानों के अध्यधीन। यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा लगाए गए जाल से कारित हुयी क्षति के प्रकार को संहिता की धारा 99 की परिधि में व न ही धारा 103 की परिधि में लाया जा सकता है। जैसा कि इस बचाव को

हमारे समक्ष किसी भी गंभीरता से प्रस्तुत नहीं किया गया, इसमें अधिक समय तक उलझने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि विद्वान अधिवक्ता ने भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया। संकथन यह था कि मृतका एक अतिचारक थी, कब्जाधारक का ऐसा कोई कर्त्तव्य देय नहीं था जैसा कि अभियुक्त का अतिचारक के संबंध में व अतः उत्तरवर्ती को प्रवत्त हुयी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की कार्यवाही का कोई आधार नहीं था व कि यदि अभियुक्त का कृत्य अपकृत्य नहीं था, तो वह अपराध भी नहीं हो सकता। तर्क की गयी इस पंक्ति में कोई सार नहीं है। प्रथम स्थान पर जहां हमारे पास भारतीय दण्ड संहिता, ऐसी संहिता है जो एक अपराध के अव्ययों को विशिष्टता के साथ व उसमें निर्धारित किसी भी अपराध से आरोपित अभियुक्त के लिए उपलब्ध बचाव को परिभाषित करती है। हम मानते हैं कि संहिता के अतिरिक्त किसी सामान्य विधि सिद्धांत का इस उद्देश्य से आह्वान करना कि अनुमेय व गैर कानूनी के अतिरिक्त, संविधि के शब्दानुसार क्या अपराध है, उचित या न्यायसंगत नहीं था। परंतु इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता अपने इस निवेदन में भी सही नहीं है कि अभियुक्त का कृत्य जिसके परिणामस्वरूप मृतका को क्षति हुयी जिसके परिणामतः उसकी मृत्यु हुयी अनुयोज्य अपकृत्य नहीं था। एक अतिचारक नियमविरोधी नहीं है caput lupinem (ऐसा व्यक्ति जिसकी बिना दण्ड के मृत्यु कारित की जा सके)। मात्र यह तथ्य कि भूमि पर प्रवेश करने वाला व्यक्ति एक अतिचारक है, मालिक या कब्जाधारक को प्रत्यक्ष हिंसा द्वारा व्यक्तिगत क्षति पहुचाने का अधिकार नहीं देता है व यही सिद्धांत अप्रत्यक्ष रूप से भूमि पर कुछ करके क्षति कारित करने को नियंत्रित करेगा, जिसके प्रभाव का उसे पता होना चाहिये कि अतिचारक को गंभीर क्षति कारित करना संभाव्य है। इसलिए इंग्लैण्ड में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जो व्यक्ति अतिचारकों पर गोली चलाने के लिए स्प्रिंग गन लगाता है अपकृत्य का दोषी है व वह चुटहिल व्यक्ति भरपाई का अधिकारी है। इस तरह के जाल बिछाने व स्प्रिंग गन के बीच बहुत कम भिन्नता है, जो वह जाल था जिससे इंग्लैण्ड के न्यायालयों को सुलझाना पड़ता था व प्रस्तुत मामले में नग्न विद्युन्मयी तार वास्तविकता में "एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से गोली चलाए बिना गोली मारने की व्यवस्था है।" इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सत्य है कि अतिचारक स्वयं के जोखिम पर भूमि में प्रवेश करता है व कब्जाधारक का उसकी सुरक्षा हेतु कोई उचित देखभाल किए जाने हेतु कोई कर्त्तव्य देय नहीं था। लेकिन साथ ही कब्जाधारक अतिचारकों की उपस्थिति की अवहेलना करते हुए अतिचारक को चोट पहुंचाने के

ऐच्छिक आशय या लापरवाही में, ऐसे स्वेच्छिक कार्य जैसे जाल लगाने व नग्न विद्युन्मयी तार लगाने का अधिकार नहीं है। जैसा कि हमने पहले बताया तार में प्रवाहित धारा की शक्ति किसी भी ऐसे संकथन को वर्जित करती है कि यह मात्र प्राइवेट संपत्ति की सुरक्षा के लिए उचित सावधानी थी। अतिचारकों के प्रति कब्जाधारकों के दायित्वों की स्थिति को यूनाइटेड किंगडम की कानून सुधार समिति द्वारा निम्नलिखित शब्दों में सुव्यवस्थित रूप से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया:

"अतिचारक पूर्ण रूप से स्वयं के जोखिम पर प्रवेश करता है, परंतु कब्जाधारक को उसे शारीरिक हानि कारित करने के लिए परिकल्पित जाल या ऐसे किसी सोचे हुए कृत्य जिसे वह जानता है या जिसका उसकी जानकारी में उसके परिसर में होने की संभावना है, नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर उसे मानव जाल या स्प्रिंग बंदूकें नहीं लगानी चाहिए। यह सामान्य सभ्य व्यवहार से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।"

इन परीक्षणों के प्रकाश में निर्णीत, यह स्पष्ट है कि आग्रह किया गया बिंदु पूर्ण रूप से गुण-दोष हीन है।

अपील विफल होती है व खारिज की जाती है।